न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा, आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या –127/2019 (Bank Case)

यूको बैंक प्रधान कार्यालय 10 वि.त्रै.म. सरणी, (ब्रेबोर्न रोड) कोलकाता में स्थित कार्यरत है जिसकी एक शाखा कार्यालय के.वी. कोटा (1964) राजस्थान में स्थित व कार्यरत है ।

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

मैसर्स हेमन्त प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज के खाते में:–

1. मैसर्स हेमन्त प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज प्रोपराईटर श्री भूपेन्द्र झा पुत्र श्री महाकान्त झा (ऋणी)
   पता– 2–यू–13, महावीर नगर तृतीय, जिला कोटा राज.–324005
2. श्री महाकान्त झा पुत्र श्री रामभद्र झा (जमानती /बंधककर्ता)
   पता– 2–यू–13, महावीर नगर तृतीय, जिला कोटा राज.–324005

मैसर्स अर्पित स्टेशनर्स के खाते मं:–

1. मैसर्स अर्पित स्टेशनर्स प्रोपराइटर श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री महाकान्त झा
   पता– 2–बी–11, महावीर नगर तृतीय, जिला कोटा राज.–324005 –(ऋणी)
2. श्री महाकान्त झा पुत्र श्री रामभद्र झा –(जमानती /बंधककर्ता)
   पता– 2–यू–13, महावीर नगर तृतीय, जिला कोटा राज.–324005

मैसर्स आर.बी. सेल्स के खाते में:–

1. मैसर्स आर.बी. सेल्स, प्रोपराइटर श्री धीरज नाथ मिश्रा पुत्र श्री महाकान्त झा –(ऋणी)
   पता– 2–यू–13, महावीरनगर तृतीय, जिला कोटा राज–324005
2. श्री महाकान्त झा पुत्र श्री रामभद्र झा –(जमानती /बंधककर्ता)
   पता– 2–यू–13, महावीर नगर तृतीय, जिला कोटा राज.–324005

(अप्रार्थीगण ऋणी)

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूरीटीजेशन रिक्सट्रक्शन आफ फाईनेंशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित
श्री अमर सिंह, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक: 20.11.2019

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि यूको बैंक प्रधान कार्यालय 10 वि.त्रै. म. सरणी, (ब्रेबोर्न रोड) कोलकाता में स्थित कार्यरत है जिसकी एक शाखा कार्यालय के. वी. कोटा (1964) राजस्थान में स्थित व कार्यरत है से अप्रार्थीगण ने मैसर्स हेमन्त प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज के खाते मं दिनांक 23.3.2017 को ऋण राशि रूपये 19,00,000/–

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

(अक्षरेः रूपये उन्नीस लाख मात्र) मैसर्स अर्पित स्टेशनर्स के खाते में दिनांक 13.2.2015 को ऋण राशि रूपये 10,00,000/– (अक्षरेः रूपये दस लाख रूपये मात्र) व मैसर्स आर. बी. सेल्स के खाते में दिनांक 20.01.2015 को ऋण राशि रूपये 10,00,000/–(अक्षरेः रूपये दस लाख मात्र) कुल ऋण राशि 39,00,000/– (अक्षरेः रूपये उन्तालिस लाख मात्र) ऋण सुविधा उपलब्ध कराई थी । अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति श्री महाकान्त झा पुत्र श्री रामभद्र झा की आवासीय संपत्ति जो मकान नं. 2–यू–13, महावीर नगर–तृतीय, कोटा राजस्थान पर स्थित है । डीड नं. 2005001099 दिनांक 24.2.2005 जो बुक नं. 01, जिल्द नं. 14, पेज नं. 13 सब रजिस्ट्रार ऑफिस कोटा में पंजीकृत है । जिसमें भूमि, भवन ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है । जिसकी माप लगभग 44 वर्गमीटर है । जिसकी चर्तुः सीमाए– उत्तर की ओर–मकान नं. 2–यू–8, दक्षिण की ओर–सड़क,पूर्व की ओर– मकान नं. 2–यू–12, पश्चिम की ओर– मकान नं. 2–यू–14 है को** प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी के खाता मैसर्स हेमन्त प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज के खाते को 31.03.2019 को मैसर्स अर्पित स्टेशनर्स के खाते को दिनांक 30.6.2019 को व मैसर्स आर.बी. सेल्स के खाते को दिनांक 2.5.2019 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थीगण के खाते में बकाया राशि मैसर्स हेमन्त प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज के खाते में रूपये 19,18,528/– दिनांक 01.5.2018 तक, मैसर्स अर्पित स्टेशनर्स के खाते में रूपये 9,99,501/–दिनांक 30.6.2019 तक व मैसर्स आर.बी.सेल्स के खाते में रूपये 10,07,514–79 दिनांक 01.5.2019 तक कुल ऋण राशि 39,25,543–39(अक्षरे रूपये उन्तालिस लाख, पच्चीस हजार, पांच सौ तैंयालिस रूपये उन्तालिस पैसे मात्र) ब्याज शामिल करते हुये तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे बकाया निकलते है को पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है । प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 12.06.2019 को नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति पश्चात भी ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है । प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्ररतुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थी ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को को दिनांक 12.06.2019 को नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति पश्चात ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत दिनांक 12.06.2019 को नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

बंधककर्ता मे अचल सम्पत्ति श्री महाकान्त झा पुत्र श्री रामभद्र झा की आवासीय संपत्ति जो मकान नं. 2–यू–13, महावीर नगर–तृतीय, कोटा राजस्थान पर स्थित है । डीड नं. 2005001099 दिनांक 24.2.2005 जो बुक नं. 01, जिल्द नं. 14, पेज नं. 13 सब रजिस्ट्रार ऑफिस कोटा में पंजीकृत है । जिसमें भूमि, भवन ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है । जिसकी माप लगभग 44 वर्गमीटर है । जिसकी चर्तुः सीमाए– उत्तर की ओर–मकान नं. 2'यू–8, दक्षिण की ओर–सड़क,पूर्व की ओर– मकान नं. 2–यू–12, पश्चिम की ओर– मकान नं. 2–यू–14 है को भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 20.11.2019 को सुनाया गया ।

(ओम कसेरा)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

Scanned by CamScanner